



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन", मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

फोन नं.— +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

1. एग्जामिनेशन का प्रारम्भ तिथि 2. एग्जामिनेशन का अंतिम तिथि 3. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि 4. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 5. परीक्षा दिनांक व दिन 6. अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये 7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) 8. सीधी भर्ती – बैंकलॉग 9. बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	28.11.2016	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	12.12.2016	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	28.11.2016	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	17.12.2016	
परीक्षा दिनांक व दिन	07-08.01.2017 शनिवार एवं रविवार	
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 500/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 250/-
	सीधी भर्ती – बैंकलॉग	कोई शुल्क नहीं
बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये		कोई शुल्क नहीं
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रु. 70/- देय होगा। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र न भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल शुल्क रु. 40/- देय होगा।		

1. एग्जामिनेशन का प्रारम्भ तिथि 2. एग्जामिनेशन का अंतिम तिथि 3. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि 4. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 5. परीक्षा दिनांक व दिन 6. अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये 7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) 8. सीधी भर्ती – बैंकलॉग 9. बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
07-08.01.2017 शनिवार एवं रविवार	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
	द्वितीय	अपराह्न 12:30 बजे	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 02:00 से 05:00 बजे तक (3:00 घंटे)

1. एग्जामिनेशन का प्रारम्भ तिथि

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्व्वाइंट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
4. पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी एम.प्र. के मूल निवासियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्व्वाइंट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
5. पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी एम.प्र. के मूल निवासियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्व्वाइंट पेन (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
6. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
7. मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-4 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक पी.ई.बी. को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक - पृथक पदों हेतु पृथक - पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। पी.ई.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए नियमावली 2017

सूची

क्र.सं.	क्र.सं.	शीर्षक	पृ.सं.
1.	1	सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली	3&14
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	15&55
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	56&75
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	76
5.	1	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	77
6.	2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	78
7.	3	फोटो, हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि का प्रपत्र	79
8.	4	बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	80
9.	5	भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण का प्रारूप	81

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

fu; e

1- I f{kr uke rFk ckj k &

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2.) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- i fHk'k, a& इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (ञ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

- (ट) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;

3- **यू.पी.सी.ए.ओ. (1)** ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

- (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4- **फॉरवर्डिंग ऑफ रिजल्ट्स; एंटरिंस एंड रिजल्ट्स; कंट्रोलिंग एंड वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।**

5- **वर्गीकरण वॉल्यूम 1** (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

- (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;
- (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
- (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो;
- और
- (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6- foLrkj &

- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें नियम 6 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अप्रेषित करेगा।

- 7- लोक लेग & लेकल; च'कल u foHkx] ea-ky; oYyHk Hou] Hki ky ds lalkku ifji= Øekal 74] Hki ky fnukal 16 Qojh 2015 ds vuq kj dMdk 7 lok leg ea lalkku fd; k x; k g विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् –

rkfydk

Ø-	lok leg	in dk lax@inule	Jskh
1.	समूह-2 उपसमूह-4	समूह-2 उपसमूह-4 के अंतर्गत श्रम-निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक प्रबंधक, सहायक संपरीक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2017	तृतीय श्रेणी

- 8- विभाग/उपक्रमों के मांग पत्र – सभी विभाग/उपक्रम ऐसे समस्त पदों के लिए जो कि भरे जाने हैं तथा जिनके आगामी भरती वर्ष में रिक्त होने की संभावना है, मांग पत्र मण्डल को प्रत्येक भरती वर्ष के 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भेजेंगे।

(2) विभाग/उपक्रम मण्डल को मांगपत्र निम्नलिखित जानकारी के साथ भेजेंगे : –

- (क) मण्डल के मांगपत्र में भरे जाने वाले पदों के लिए प्रस्ताव;
- (ख) परीक्षा के लिए संबंधित नोडल अधिकारी के पद का नाम तथा पता;
- (ग) राजपत्र में प्रकाशित भरती नियम की एक प्रति;
- (घ) आरक्षित वर्ग के पदों का विवरण दर्शाने वाली तालिका।

- 9- ijHk dk vk k u & l ekl; ç'kl u foHkx] ea-ky; oYyHk Hou] Hki ky ds lalkku ifji= Øekal 416] Hki ky fnukal 10 vDVwj 2016 ds vuq kj सेवा समूह – 2 उपसमूह-4 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् –

rkfydk

परीक्षा पद्धति के लिये

l-Ø-	leg	ç'u i= dh dy l q; k	dy val	ç'u i= dk foj. k	val
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एक	01	200	1/4 1/2 सामान्य विज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित	100
				1/4 1/2 सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन	100

10- ik=rk dh 'kr7; Flk 'kfk.kd@rdudh@0 kol kf; d vgZk a%

- (1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित 'kfk.kd vgZk अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

l eg & l eg&2 mi l eg&4

vH fflZ ka us foHkx ds l af/kr Hr hZfu; eka ds v/ku fdl h Hh fo"k; ea Lukrd mi kf/k mÜh kZdh gk

- (2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

1/2 vk q l hek & उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के pk ywo" kZdh 1 t uojh की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

l kkl; ç' kkl u foHkx] ea-ky; oYyHk Hou] Hki ky ds l ákku ifji = Øekd 74] Hki ky fnukd 16 Qjoh 2015 ds vuq kj dMdk 10 ea mi fu; e&03 ds i' pkr~ fuEufyf[kr mi fu; e va%Flfi r fd; k x; k g\$ t ks fuEukuq kj gS&

- (क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित

योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, कर सकेगा।

- (ख) कुछ विभागों के पदों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वरूप की दक्षता चाही जाती है जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होता है उदाहरणस्वरूप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट आदि, ऐसे मामलों में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आवश्यकता के अनुरूप यह निर्णय करेगा कि परीक्षा में इस प्रकार की तकनीकी दक्षता का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त स्तर की परीक्षा आयोजित की जा सके व उसमें न्यूनतम कट ऑफ अंक नियत किये जाकर जो पात्रता में अंक प्राप्त होंगे वे अंक प्रथम चरण की परीक्षा में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

11- vH fflZ lkd } kjk vksnu çLrq fd; k t kuk &

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक्-पृथक् उपस्थिति होना होगा।

12- e. My } kjk ijhkk ifj. kkd dh ?kkk lk vls l Qy vH fflZ lkdh l ph t kjh djuk

- (1) मण्डल, परीक्षा आयोजन उपरान्त परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 6 में तथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।
- (2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

- (5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (7) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

13- fu; Dr dsfy, e.My dh vuqld k, a&

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
- (4) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि तक रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई हो तो संबंधित समूहों के अंतर्गत ऐसी उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों की जानकारी जो वर्ष के दौरान वास्तविक रिक्तियों में परिवर्तित होंगी, विभागों द्वारा मण्डल को किसी भी स्थिति में परीक्षा वर्ष के 15 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी। शेष अभ्यर्थियों से जिनके नाम अर्हता सूची में आए हैं, उनके विभागों की प्राथमिकता पूछी जाएगी जिससे मण्डल द्वारा उनके नामों को योग्यता सूची के आधार पर क्रमानुसार संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जा सके। मण्डल, विभागों को परीक्षा वर्ष के 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश देगा। अभ्यर्थी उनके आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक उनके चाहे गए आवंटित विभाग में अपना पदभार ग्रहण करने के दायित्वाधीन होंगे। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करना है तो संबंधित परीक्षा में उसका चयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

14- l Qy vH fflz k dh vfre l ph dh fof/lek, rk dh vof/k &

- (1) किसी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् अविधिमान्य हो जाएगी।

(2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा

परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

(3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा व्यापम की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत व्यापम के माध्यम से चयन सूची जानी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

(4) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 के अनुसार :-

(i) परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या)15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

(ii) ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी द्वारा इंडेंट आवेदन फार्म भरने के प्रथम दिनांक के बाद बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है को भरा जा सकेगा। इस हेतु विभागों को यह प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराई जावेगी, जिसे वे अभ्यर्थियों को सीधे आहूत कर सकेंगे।

15- चेक कि लकलर कि उर फ्लु; डर धर फु; क &

(1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई फोर्कलर, इजलर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

16- वल्लि क &

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	14 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

12-1/2 {k k &

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
- (ख) निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 6 प्रतिशत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 2-2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
- परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।
- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।
- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी

17- vlonu 'k'd &

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18- ; k=k HOk &

- (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी अपने निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र चुनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों

को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी परीक्षार्थी संलग्न **ik i&5** में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएँ।

19- ijh{k dñz&

इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख से सरकार के समस्त पदों की भरती जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएँ मण्डल के परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकेंगी। यदि ऐसे केन्द्र पर संघ लोक सेवा आयोग, मण्डल की परीक्षाओं की तारीख पर अपनी परीक्षाएँ करवा रहा हो तो मण्डल का ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। "इसके अतिरिक्त उक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ मण्डल की परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु भी ली जा सकेंगी। अतः उपरोक्त कर्मचारीवृन्द की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवाएँ होंगी।"

20- fujgzk &

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई

विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21- vH FkZdh ekufi d vKj 'kjlfd fLFkr &

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22- vlonuk dk jna fd; k t kuk &

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23- vH FkZ} kj k vKj {k k dk nlok &

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24- vH fflk jnn djusdsfy, vkWkj &

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने –

- (क) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों;
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो;
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्व्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

25- fu%kDrt uldsfy; svkj{kr inldh i frZ&

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र. /एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 के अनुसार निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02-02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टिकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

26-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना। अर्थात् मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 के नियम-4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार वे समस्त उपबंध जो, इन नियमों में जोड़े गये हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किये गए हैं, संशोधित किये जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक

v/; k & 02

l eg&2 ds vxr xZ Je&fujh[kd] dfu" B l gk d] l gk d ççakd] l gk d l ajh[kd]
xZki ky] l gk d xZki ky , oa vU l ed{k in kgrql a Dr HrlZijh[k&2017

HrlZdk çdkj	çkfedrk Øe grqfoHk dk ule] ft uea in fjDr gâ	in	Jskokj miyCk in lã; k				
			vuk	vt k	vt tk	vfi o	dy
I h/kh HrlZ	1. कार्यालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)	ग्रंथपाल	01	00	00	00	01
	2. कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	ग्रंथपाल	01	00	00	00	01
	3. कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)	डायटीशियन	01	00	00	00	01
		स्टीवर्ड	01	00	01	00	02
	i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	डायटीशियन	02	01	00	00	03
		आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	01	00	00	00	01
		फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	01	00	00	00	01
	ii. महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	डायटीशियन	02	01	00	00	03
	iii. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)	डायटीशियन	01	00	00	00	01
		बायोकेमिस्ट	01	00	00	00	01
	iv. गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)	बायोकेमिस्ट	01	00	00	00	01
	v. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)	उपग्रंथपाल	00	00	01	00	01
		लाइब्रेरी असिस्टेंट	01	00	00	00	01
		कैटलॉगर	01	00	00	00	01
		जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट	01	00	00	00	01
		स्टीवर्ड	01	00	00	00	01
		मेडिकल सोशल वर्कर	01	00	00	00	01
	vi. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)	बायोकेमिस्ट	01	00	00	00	01
		डॉक्यूमेंट लिस्ट क्लर्क	01	00	01	00	02
	4. कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, भोपाल (म.प्र.)	स्टीवर्ड	01	00	01	00	02
		डायटीशियन	01	00	00	00	01
	5. कार्यालय संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश पर्यावरण, भोपाल (म.प्र.)	ग्रंथपाल	01	00	00	00	01
		अनुसंधान सहायक	02	00	00	00	02
		अन्वेषक	12	00	01	01	14
	6. आर.सी.वी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल (म.प्र.)	सहायक ग्रंथपाल	01	00	00	00	01
	7. कार्यालय श्रमायुक्त संगठन मध्यप्रदेश, इंदौर (म.प्र.)	श्रम निरीक्षक	57	18	23	16	114
	8. कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, भोपाल (म.प्र.)	ऑडीटर	00	00	02	00	02
	9. कार्यालय मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 74 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	01	00	00	00	01
पर्यवेक्षक		01	00	00	00	01	
10. कार्यालय संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)	ग्रंथपाल	02	00	00	00	02	
	प्रयोगशाला सहायक	01	00	00	00	01	
11. कार्यालय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल स्प्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	सहायक	19	07	04	02	32	
	कनिष्ठ सहायक	19	10	31	16	76	
12. कार्यालय उद्योग संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	34	14	21	08	77	
13. जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)	प्रचार सहायक ग्रेड-02	01	02	01	00	04	
14. कार्यालय संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म. प्र., भोपाल (म.प्र.)	सांख्यिकीय अन्वेषक	77	38	49	25	189	
	15. कार्यालय मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	08	01	06	03	18
		सहायक ग्रेड कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	06	03	03	01	13
	16. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल (म.प्र.)	स्वच्छता निरीक्षक (नगर निगम के लिये)	59	13	07	12	91
		स्वच्छता निरीक्षक (म.प्र. राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा)	14	15	20	11	60
		राजस्व निरीक्षक (नगर पालिक निगम)	24	04	01	04	33
		सहायक स्वच्छता अधिकारी (नगर पालिक निगम)	08	01	01	00	10
		सहायक विधि अधिकारी (नगर पालिक निगम)	09	02	01	00	12

1 h/kh Hr/LZ	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल (म.प्र.)	सहायक अतिक्रम निरोधक अधिकारी (नगर पालिक निगम)	37	06	03	06	52
		सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी (नगर पालिक निगम)	16	03	01	00	20
		सहायक नगर निवेशक अधिकारी (नगर पालिक निगम)	09	01	01	01	12
		सहायक अग्निशमन अधिकारी (नगर पालिक निगम)	14	01	01	01	17
	17. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन म.प्र.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (नियमित वेतनमान)	09	18	11	00	38
	18. म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	शीघ्रलेखक	04	01	02	01	08
		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	00	00	01	00	01
	19. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रोग्रामर	01	00	01	00	02
	20. पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)	सूबेदार/ग्रंथपाल	02	00	01	00	03
		सहायक उप निरीक्षक (सहाक ग्रंथपाल)	05	02	02	01	10
21. कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.)	सम्पत्ति प्रबंधक	01	00	00	00	01	
	सहायक प्रोग्रामर	01	00	00	00	01	
22. कार्यालय मध्यप्रदेश रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल (म.प्र.)	कनिष्ठ सहायक ग्रेड-3	09	03	03	02	17	
23. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, म.प्र.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	09	00	00	00	09	
	सहायक उप निरीक्षक	618	00	00	00	618	
24. राज्यपाल के अपर सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	01	00	00	02	
; kx		1111	165	202	111	1589	
1 h/kh Hr/LZ c.dlykw	25. कार्यालय संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश पर्यावरण, भोपाल (म.प्र.)	अन्वेषक	00	00	01	01	02
	26. कार्यालय श्रमायुक्त संगठन मध्यप्रदेश, इंदौर	श्रम उपनिरीक्षक	00	01	02	01	04
	27. कार्यालय मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 74 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	00	00	03	03	06
		पर्यवेक्षक	00	02	04	03	09
	28. कार्यालय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	सहायक	00	00	11	08	19
		कनिष्ठ सहायक	00	00	14	10	24
	29. कार्यालय उद्योग संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	00	00	05	02	07
30. म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	शीघ्रलेखक	00	01	01	00	02	
31. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, म.प्र.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	00	03	03	00	06	
	सहायक उप निरीक्षक	00	173	247	03	423	
; kx		00	180	291	31	502	
1 fonk Hr/LZ	32. कार्यालय जन अभियान परिषद्, भोपाल (म.प्र.)	संभाग समन्वयक	03	00	01	01	05
		जिला समन्वयक	06	04	07	03	20
		ब्लॉक समन्वयक	08	04	07	03	22
	33. कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल						
	i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	आर्थेट्रिस्ट एवं प्रोस्थेट्रिस्ट (पी.एम.आर.)	01	00	00	00	01
	34. जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)	अनुवादक	03	01	01	00	05
	35. म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (म.प्र.)	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21	07	08	06	42
	36. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	01	01	00	04
37. संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, विजया राजे, वात्सल्य भवन प्लाट नं. 28, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)	कम्प्यूटर ऑपरेटर	05	02	02	01	10	
	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	07	02	02	02	13	
; kx egk kx		56	21	29	16	122	
		1167	366	522	158	2213	

HrZdk çdlj	Jskokj miyCk dy in lq;k				
	vuk	vt k	vt t k	vfio	dy
l h/h HrZ	1111	165	202	111	1589
l h/h HrZ cSlyk	000	180	291	031	502
l fonk HrZ	056	021	029	016	122
egk k	1167	366	522	158	2213

in dk , dt kbZfooj .k

Ø-	in dk ule	l h/h HrZ	l h/h HrZ cSlyk	l fonk HrZ	dy
1.	ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन)	05	00	00	005
2.	डायटीशियन	06	00	00	006
3.	स्टीवर्ड	05	00	00	005
4.	आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	01	00	00	001
5.	फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	01	00	00	001
6.	बायोकेमिस्ट	02	00	00	002
7.	उपग्रंथपाल	01	00	00	001
8.	लाइब्रेरी असिस्टेंट	01	00	00	001
9.	कैटलॉगर	01	00	00	001
10.	जुनियर फिजियोथेरेपिस्ट	01	00	00	001
11.	मेडिकल सोशल वर्कर	01	00	00	001
12.	डॉक्यूमेंट लिस्ट क्लर्क	02	00	00	002
13.	अनुसंधान सहायक	02	00	00	002
14.	अन्वेषक	14	02	00	016
15.	सहायक ग्रंथपाल	01	00	00	01
16.	श्रम निरीक्षक	114	00	00	114
17.	ऑडीटर	02	00	00	002
18.	सहायक प्रबंधक	78	13	00	091
19.	पर्यवेक्षक	01	09	00	010
20.	प्रयोगशाला सहायक	01	00	00	001
21.	सहायक	32	19	00	051
22.	कनिष्ठ सहायक	76	24	00	100
23.	प्रचार सहायक ग्रेड-2	04	00	00	004

24.	सांख्यिकीय अन्वेषक	189	00	00	189
25.	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	18	00	00	018
26.	सहायक ग्रेड कम कम्प्यूटर आपरेटर	13	00	00	013
27.	स्वच्छता निरीक्षक	151	00	00	151
28.	राजस्व निरीक्षक	33	00	00	033
29.	सहायक स्वच्छता अधिकारी	10	00	00	010
30.	सहायक विधि अधिकारी	12	00	00	012
31.	सहायक अतिक्रम निरोधक अधिकारी	52	00	00	052
32.	सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी	20	00	00	020
33.	सहायक नगर निवेशक अधिकारी	12	00	00	012
34.	सहायक अग्निशमन अधिकारी	17	00	00	017
35.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	38	00	42	080
36.	शीघ्रलेखक	08	02	00	010
37.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	12	06	04	022
38.	सहायक प्रोग्रामर	03	00	00	003
39.	सूबेदार/ग्रंथपाल	03	00	00	003
40.	सहायक उप निरीक्षक(सहायक ग्रंथपाल)	10	00	00	010
41.	सम्पति प्रबंधक	01	00	00	001
42.	श्रम उप निरीक्षक	00	04	00	004
43.	संभाग समन्वयक	00	00	05	005
44.	जिला समन्वयक	00	00	20	020
45.	ब्लॉक समन्वयक	00	00	22	022
46.	आथेट्रिस्ट एवं प्रोस्थेट्रिस्ट (पी.एम.आर.)	00	00	01	001
47.	अनुवादक	00	00	05	005
48.	कम्प्यूटर आपरेटर	00	00	10	010
49.	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	00	00	13	013
50.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड-3	17	00	00	17
51.	सहायक उपनिरीक्षक	618	423	00	1041
; lxx		1589	502	122	2213

**e-iz dsfo'kk vkfne t ut kfr l ewk; c&k l gkfj; k , oaHkfj; k vud for t ut kfr ds
vH fFZ k dks vlonu i= iZrg djus ds fy; sfoHkx dh l ph %**

क्र/क्र. सं.	कार्य/कार्यक्रम का विवरण	पद	विवरण	
1 h/kh HkrlZ	1. कार्यालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)	ग्रंथपाल	अकार्यपालिक	
	2. कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	ग्रंथपाल	अकार्यपालिक	
	3. कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)	i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	डायटीशियन स्टीवर्ड	अकार्यपालिक
		ii. महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	डायटीशियन आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन	
	iii. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)	डायटीशियन		
	iv. गजराजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)	बायोकेमिस्ट		
	v. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)	उपग्रंथपाल	अकार्यपालिक	
		लाइब्रेरी असिस्टेंट		
		कैंटलॉगर		
		जुनियर फिजियोथेरेपिस्ट		
	vi. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)	स्टीवर्ड	अकार्यपालिक	
		मेडिकल सोशल वर्कर		
	4. कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गौस राहत, भोपाल (म.प्र.)	स्टीवर्ड	अकार्यपालिक	
		डायटीशियन		
	5. कार्यालय संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश पर्यावरण, भोपाल (म.प्र.)	ग्रंथपाल	अकार्यपालिक	
		अनुसंधान सहायक		
अन्वेषक				
6. आर.सी.वी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल (म.प्र.)	सहायक ग्रंथपाल	अकार्यपालिक		
7. कार्यालय श्रमायुक्त संगठन मध्यप्रदेश, इंदौर (म.प्र.)	श्रम निरीक्षक	अकार्यपालिक		
8. कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, भोपाल (म.प्र.)	ऑडीटर	अकार्यपालिक		
9. कार्यालय मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 74 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	कार्यपालिक		
	पर्यवेक्षक			
10. कार्यालय संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल (म.प्र.)	ग्रंथपाल	अकार्यपालिक		
	प्रयोगशाला सहायक			
11. कार्यालय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	सहायक	अकार्यपालिक		
	कनिष्ठ सहायक			
12. कार्यालय उद्योग संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	कार्यपालिक		
13. जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)	प्रचार सहायक ग्रेड-02	कार्यपालिक		
14. कार्यालय संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र., भोपाल (म.प्र.)	सांख्यिकीय अन्वेषक	अकार्यपालिक		
	15. कार्यालय मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	अकार्यपालिक	
		सहायक ग्रेड कम कम्प्यूटर ऑपरेटर		
	16. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल (म.प्र.)	स्वच्छता निरीक्षक (नगर निगम के लिये)	अकार्यपालिक	
		स्वच्छता निरीक्षक (म.प्र. राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा)	अकार्यपालिक	
		राजस्व निरीक्षक (नगर पालिक निगम)	अकार्यपालिक	
सहायक स्वच्छता अधिकारी (नगर पालिक निगम)		कार्यपालिक		
सहायक विधि अधिकारी (नगर पालिक निगम)	कार्यपालिक			

I h/kh Hr/z	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल (म.प्र.)	सहायक अतिक्रम निरोधक अधिकारी (नगर पालिक निगम)	कार्यपालिक
		सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी (नगर पालिक निगम)	कार्यपालिक
		सहायक नगर निवेशक अधिकारी (नगर पालिक निगम)	कार्यपालिक
		सहायक अग्निशमन अधिकारी (नगर पालिक निगम)	कार्यपालिक
	17. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन म.प्र.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (नियमित वेतनमान)	अकार्यपालिक
	18. म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	शीघ्रलेखक	अकार्यपालिक
		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	
	19. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रोग्रामर	अकार्यपालिक
	20. पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)	सूबेदार/ग्रंथपाल	कार्यपालिक
		सहायक उप निरीक्षक (सहाक ग्रंथपाल)	
21. कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.)	सम्पत्ति प्रबंधक	अकार्यपालिक	
	सहायक प्रोग्रामर		
22. कार्यालय मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल (म.प्र.)	कनिष्ठ सहायक ग्रेड-3	अकार्यपालिक	
23. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, म.प्र.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अकार्यपालिक	
	सहायक उप निरीक्षक	कार्यपालिक	
24. राज्यपाल के अपर सचिव मध्यप्रदेश, भोपाल	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अकार्यपालिक	
I h/kh Hr/z cs/lykw	25. कार्यालय संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश पर्यावरण, भोपाल (म.प्र.)	अन्वेषक	अकार्यपालिक
	26. कार्यालय श्रमायुक्त संगठन मध्यप्रदेश, इंदौर (म.प्र.)	श्रम उपनिरीक्षक	अकार्यपालिक
	27. कार्यालय मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 74 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	कार्यपालिक
		पर्यवेक्षक	
	28. कार्यालय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	सहायक	अकार्यपालिक
		कनिष्ठ सहायक	
	29. कार्यालय उद्योग संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)	सहायक प्रबंधक	कार्यपालिक
	30. म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	शीघ्रलेखक	अकार्यपालिक
31. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, म.प्र.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अकार्यपालिक	
	सहायक उप निरीक्षक	कार्यपालिक	
I sonk Hr/z	32. कार्यालय जन अभियान परिषद्, भोपाल (म.प्र.)	संभाग समन्वयक	कार्यपालिक
		जिला समन्वयक	
		ब्लॉक समन्वयक	
	33. कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)		अकार्यपालिक
	i. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	आथेट्रिस्ट एवं प्रोस्थेट्रिस्ट (पी.एम.आर.)	
	34. जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)	अनुवादक	कार्यपालिक
	35. म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (म.प्र.)	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अकार्यपालिक
36. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अकार्यपालिक	
37. संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, विजया राजे, वात्सल्य भवन प्लॉट नं. 28, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)	कम्प्यूटर ऑपरेटर	अकार्यपालिक	
	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर		

1 h/h HrhZ ds i nkd oxZkj fooj.k

1. dk k; jkt Lo e.My| Xokfy; j 1e-c-1/2

dk k; jkt Lo e.My| Xokfy; j 1e-c-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक 2923/स्था./2014 भोपाल, दिनांक 12/09/2014 एवं 3015 दिनांक 24.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rfydk

1 h/h HrhZ & xFlaky & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'k{k.kd ; k; rk & ek; rk çkr l fLk@fo'ofok|ky; l sybcjh l kba eaLukrd , oal ed{k

2. dk k; vLFLZl , oal k[; dh l pkyuky; | Hki ky 1e-c-1/2

dk k; vLFLZl , oal k[; dh l pkyuky; | Hki ky 1e-c-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक /5708/2014/आसासं/1-प्रशा./अ-1 भोपाल, दिनांक 15/09/2014 तथा पत्र क्रमांक /417/आसासं/2016/1-प्रशा./अ-1 भोपाल, दिनांक 30/01/2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rfydk

1 h/h HrhZ & xFlaky & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k{k.kd ; k; rk & ek; rk çkr fo'ofok|ky; l sde l sde i rdky; foKku eaLukrd , oal dE; Wj l pkyu dk Kku A

3. दक कय; ल पकुकु; फुडरु क र कडु हुडु कय १/२-१/२

दक कय; ल पकुकु; फुडरु क र कडु हुडु कय १/२-१/२से प्राप्त पत्र क्रमांक 536/स्था./अराज/2014

भोपाल, दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

i. खलु फुडरु क र कडु कय; ल हुडु कय

वुकु क क र कडु क

ल हुडु क र कडु क र कडु कय 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	–	–	–	–	–	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; ल	01	&	&	&	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'कुकु कडु क र कडु कय, ल हुडु कय; ल हुडु कय, ल हुडु कय १/२-१/२से प्राप्त पत्र क्रमांक 536/स्था./अराज/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

ल हुडु क र कडु क र कडु कय 02 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	–	–	–	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; ल	02	&	&	&	02	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is

'कुकु कडु क र कडु कय 1- कडु कय, ल हुडु कय १/२-१/२से प्राप्त पत्र क्रमांक 536/स्था./अराज/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

ii. egfdek xkxh Lefr fpdfRL k egfo | ky; | bUnk\$ 1e-c-1/2

vkj {k k rkydk

I h/h HriZ & M; Vlf' k u & dy 03 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ks	03	&	&	&	03	

वेतनमान — 5200-20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता— 1. एम.एस.सी. (होमसाइंस) उत्तीर्ण या बी.एस.सी. (होमसाइंस) में द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण
2. एक विषय आहार शास्त्र (डाइटिटिक्स) होना अनिवार्य है।

I h/h HriZ & vkVZV de&QW/sxLQj & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ks	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200S2400 xM is

'kfk.kd ; k; rLk yfyr dykeatsts dlyt vkQ vkZl sLukrDA

I h/h HriZ & fQft ; kFj i h V Dulf' k u & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ks	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200S2800 xM is

'kfk.kd ; k; rLk fQft ; kFj i h dk 4 o"hz fMxh mUkh lz

iii. दृश्य [क M फर्दर क एगो | क्य;] 1 क्ज 1/2-1/2

1 ह/ह हरिउ & M; Vif' क u & द्य 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; क	01	&	&	&	01	

orueku 5200&20200\$2800 xM is

'कक.कद ; क; रक &

- 1- , e-, l-l h gkel kbā mUk kZ; k ch, l-l h gkel kbā eaf}rh; Jskh
- 2- , d fo'k; vlgkj 'kL= M; fVDI 1/2gluk plfg, A

iv. ख्त ज्ज्क क फर्दर क एगो | क्य;] खोफ्य; j 1/2-1/2

1 ह/ह हरिउ & क; कसेLV & द्य 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; क	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$3200 xM is

'कक.कद ; क; रक &

1. जीव विज्ञान (बायोकेमेस्ट्री) में या चिकित्सकीय जीव रसायन (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री) में स्नातक या।
2. रसायन (केमेस्ट्री) में स्नातक एवं
3. रोग विज्ञान तकनीशियन (पैथालॉजी टेक्नीशियन) का 10 माह/01 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या चिकित्सीय रोग विज्ञान (मेडिकल पैथोलॉजी) में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।

v. uskt h l k'p hzckl e fMdy dkt | tcyig ½c-½

l h/h hriz & mixkky & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is
'k'k.kd ; k'rk & ybcjh l lba eaLukrd

l h/h hriz & ybcjh vfl LV & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is
'k'k.kd ; k'rk & ybcjh l lba eaLukrd

l h/h hriz & dSykwj & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is
'k'k.kd ; k'rk & ybcjh l lba eaLukrd

l h/h hriz & tqu; j fQft ; k'fj si LV & dy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is
'k'k.kd ; k'rk &
1- ch, l-l h
2- fQft ; k'fj si LV eafMxh
3- i\$e fMdy dkt y eait h; u vko'; dA

l h/h HkZ & LVbMZ & dg 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lxx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200-20200 \$ 2100 xM is

'kfk.kd ; k; rk & ch, l-l h gk l kb ft l ea, d fo" k Mb fVdl gk

l h/h HkZ & esMdy l kky odZ & dg 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lxx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200-20200 \$ 3200 xM is

'kfk.kd ; k; rk & l ekt 'kL= eaLukrd

vi. ' ; le ' kg fpdRL k egkfo | ky; | j hok ½ c-½

l h/h HkrlZ & ck; kdfelV & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'kfk.kd ; k; rk & बायोकेमेस्ट्री अथवा मेडि. बायोकेमेस्ट्री में स्नातकोत्तर अथवा केमेस्ट्री में स्नातक एवं पैथालॉजी टेक. का 10 माह/1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथालॉजी में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।

l h/h HkrlZ & Mm; w/ fyLV DydZ & dgy 02 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kfk.kd ; k; rk & बी. लिब. आय.एस.सी. डिग्रीधारी

4. दक कड; ल पकड देक उगः फपदरल कड; xS जलर] Hkky 1/2-1/2

दक कड; ल पकड देक उगः फपदरल कड; xS जलर] Hkky 1/2-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक/2011/संचा./क.ने.चित्र/गै.रा./एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 12.09.2014 एवं पत्र क्रमांक/2065/संचा./क.ने.चित्र/गै.रा./एन.जी./2014 भोपाल, दिनांक 23.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

l h/h HkVZ & LVhMZ & dgy 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ks	02	—	—	—	02	

orueku & 5200 & 20200 \$ 2400 xM is

'kKf.kd ; k; rk & ch, l-l h gk l kd 1/2 ft l ea, d fo"k MbVfVdI gk

l h/h HkVZ & MbVf'k u & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; ks	01	—	—	—	01	

orueku & 5200 & 20200 \$ 2800 xM is

'kKf.kd ; k; rk &

1. एम.एस.सी. (होम साइन्स उत्तीर्ण) या बी.एस.सी. (होम साइन्स में द्वितीय श्रेणी)
2. एक विषय आहार शास्त्र डाइटिटिक्स होना अनिवार्य है।

5. dk k; l pkyuk; uxj rFlk xhe fuošk i; k; j. k Hki ky 1e-ç-1/2

dk k; l pkyuk; uxj rFlk xhe fuošk i; k; j. k Hki ky 1e-ç-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक-क्र./4868/स्था./नग्रानि/2014, भोपाल, दिनांक 27.10.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

v{k k rkydk

l h/k HriZ & xFlki ky & d; y 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; l; x	01	&	&	&	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is
'k;k. kd ; k; rk & Lukrd v{k yk c; j h l h d eafMyk; k mi k/k

l h/k HriZ & vuq akku l gk d & d; y 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	02	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; l; x	01	01	&	&	02	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is
'k;k. kd ; k; rk & l h[; dh @vFZM=@MelskQh@ok. kT; @xf. kr@uxjlr Hwky@l ek 'kL= eaf}rh
Jsk eaLukrd

l h/k HriZ & vtošk d & d; y 14 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	08	03	01	-	12	निशक्तजनों की d; y 01 fjdR eal s 01 in vflFck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
	; l; x	10	03	01	&	14	

orueku & 5200&20200 \$2800 xM is
'k;k. kd ; k; rk & ok. kT; @d; yk@Hwky@foKku ds l Fk xf. kr@l h[; dh , d fo" k; jgk gk Lukrd mi k/k

6. वर्ग-1 होह उच्च शिक्षण संस्थान, काठमाडौं, वरिष्ठ शिक्षक 1/2-1/2

वर्ग-1 होह उच्च शिक्षण संस्थान, काठमाडौं, वरिष्ठ शिक्षक 1/2-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक 6769/अका.
/स्था./1-157/2014 भोपाल, दिनांक 17.10.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ग/श्रेणी

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; कुल	01	—	—	—	01	

संख्या 5200 & 20200 सं 2800 सं 2800

वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी

7. वर्ग-2 होह उच्च शिक्षण संस्थान, काठमाडौं, वरिष्ठ शिक्षक 2/2-2/2

वर्ग-2 होह उच्च शिक्षण संस्थान, काठमाडौं, वरिष्ठ शिक्षक 2/2-2/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक 3/2/प्रथम/भाग-2
लिपिक/2011/29263, इंदौर दिनांक 17/09/2014 एवं पत्र क्रमांक 5/2/प्रथम/2015/863(2) दिनांक
20/06/2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ग/श्रेणी

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	35	16	05	01	57	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	11	05	02	—	18	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	07	02	—	23	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	05	01	—	16	
	; कुल	70	33	10	01	114	

संख्या 5200&20200 सं 2800 सं 2800

वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी; वर्ग/श्रेणी

8. dk k; jft LVkj] QEl Z, oal LFk, Hki ky 1e-c-1/2

dk k; jft LVkj] QEl Z, oal LFk, Hki ky 1e-c-1/2से प्राप्त पत्र क्रमांक स्था./ ई - 351/ एस/952 /14 , भोपाल, दिनांक 27/08/2014 एवं 1132 दिनांक 23.09.14 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rkfydk

l h/h HriZ & vkMvj & dy 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; k	02	&	-	-	02	

orueku & 5200 & 20200\$2400 xM is

'k k. kd ; k; rk & स्नातक (कला, विज्ञान, वाणिज्य)

uk & नियुक्ति तारीख से दो वर्ष के भीतर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।

9. dk k; e/; çnsk [knh rFk xhks] k cM74 vj{k fgYl | Hki ky 1e-c-1/2

dk k; e/; çnsk [knh rFk xhks] k cM74 vj{k fgYl | Hki ky 1e-c-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक/स्था./4/28-3/2012-13/447 भोपाल दिनांक 10/10/2014 एवं पत्र क्रमांक/स्था./4/28-3/2014-15/115 भोपाल दिनांक 06/01/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

vj{k k rkfydk

l h/h HriZ & l gk d çcald & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; k	01	-	-	-	01	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is

'k k. kd ; k; rk & 1- de l s de Lukrd mi k/k

l h/h HriZ & i; Zskd & dy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; k	01	-	-	-	01	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k k. kd ; k; rk & 1- de l s de Lukrd mi k/k

10. dk k; l pkyuky; i qkrB] vfHky] kxkj , oal xgky; | Hki ky 1e-ç-1/2

dk k; l pkyuky; i qkrB] vfHky] kxkj , oal xgky; | Hki ky 1e-ç-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक 2522 भोपाल, दिनांक 06/09/2014 एवं पत्र क्रमांक/386/न.क्र./स्था.4/2014 भोपाल, दिनांक 12/05/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rfydk

l h/h HrlZ & x'ki ky & dgy 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	—	—	—	02	

orueku & 9300&34800\$2800 xM is

'k'k.kd ; k; rk & fdl h eM; rk i Hr fo'ofok; l si qrdky; foKku eaLukrd mi k/A

l h/h HrlZ & ç; kx'kyk l gk d & dgy 01 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	—	—	—	01	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is

'k'k.kd ; k; rk & fdl h eM; rk i Hr fo'ofok; l sfoKku fo"e eaLukrd mi k/A

11. दक कय; e/; ञसक लव fl foy l lykz dkijksku fyfeVM Hki ky 1/2-1/2

दक कय; e/; ञसक लव fl foy l lykz dkijksku fyfeVM Hki ky 1/2-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक स्था./2014/3166, भोपाल, दिनांक 09/09/2014, पत्र क्र. 3615, भोपाल, दिनांक 22.11.14, पत्र क्रमांक/स्था./2014/3722 भोपाल दिनांक 15.12.2014 तथा पत्र क्र /स्था./2015/1284 भोपाल दिनांक 26.09.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vjk k rkfydk

l h/h Hkiz & l gk d & dy 32 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निशक्तजनों की dy 03 fjdR; laeals 01 in Jo.kck/kr] 01 in vlFlck/kr ,oa 01 in nFVck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	11	06	02	—	19	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	02	01	—	07	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	—	—	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	—	—	02	
	; lsk	19	10	03	—	32	

orueku & 5200&20200S2400 xM&is

'kfk.kd ; k; rk & fdl h Hh l alk es iFk Jsh ea Lukrd ,oa dE; Wj ea ,d o"KZ fMylek izkk i= 1/2E; Wj ,lyhdsku ea Lukrd chl h @, el h ds vH fFZ la dls dE; Wj fMylek dh vlo'; drk ughagksh

l h/h Hkiz & dfu" B l gk d & dy 76 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निशक्तजनों की dy 11 fjdR; laeals 04 in Jo.kck/kr] 04 in vlFlck/kr] 03 in nFVck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	12	05	02	—	19	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	03	01	—	10	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	18	10	03	—	31	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	09	05	02	—	16	
	; lsk	45	23	08	—	76	

orueku & 5200&20200S1900 xM&is

'kfk.kd ; k; rk & fdl h Hh l alk ea f;rH Jsh ls Lukrd ,oa dE; Wj ea ,d o"KZ fMylek cek k i= 1/2E; Wj ,lyhdsku ea Lukrd chl h @, el h ds vH fFZ la dls dE; Wj fMylek dh vlo'; drk ughagksh

12. dk k; m | l pkyuk; | Hki ky ½-½

dk k; m | l pkyuk; | Hki ky ½-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक 02/स्थापना (1-ब)/2014/10023, भोपाल, दिनांक 18/09/2014 एवं पत्र क्रमांक 02/स्थापना (1-ब)/2014/13351 भोपाल, दिनांक 05.12.2014 एवं पत्र क्रमांक 16/स्था./ (1-ब)/2015/4316 भोपाल, दिनांक 16/04/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rkfydk

l h/h HkZ & l gk d çakd & dy 77 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	21	10	03	—	34	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	09	04	01	—	14	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	13	06	02	—	21	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	03	01	—	08	
	; l	47	23	07	—	77	

वेतनमान - 5200-20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) ½dk Zkfyd in½

13. t ul á dZl pkyuk; | e/; çns'k 'Hl ul Hki ky ½-½

t ul á dZ l pkyuk; | e/; çns'k 'Hl ul Hki ky ½-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक ए-1-16/2014/जसंसं/स्था/7789 दिनांक 21/11/2014 एवं ए-1-16/2014/जसंसं/स्था/7881 दिनांक 27/11/2014 एवं पत्र क्रमांक 881 दिनांक 05/02/2015 एवं क्रमांक ए-1-16/2014-15/जसंसं/स्था./4616 भोपाल, दिनांक 27/06/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rkfydk

l h/h HkZ & i pjk l gk d xM&2& dy 04 in

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	01	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	01	01	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; l	01	02	01	—	04	

orueku & 5200-20200 +2100 ग्रेड पे

'k k. kd ; l; rk & किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

15. दक क्य; eH; egk ak 1/2 g-1/2e; kNr] Hk ky 1/2 c-1/2

कार्यालय मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 2761/स्था./2014-2015 भोपाल दिनांक 28/11/2014 एवं पत्र क्रमांक 1465/स्था./2015-16/ दिनांक 17/07/2015 क्रमांक/477/स्था./2016-17 भोपाल, दिनांक 07.05.2016, के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

वर्गिक रकयक

1 h/h HkZ & l gk d izakd 1/2 duhdh/2 & dy 18 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	01	01	-	08	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	01	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	01	01	-	06	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	02	-	-	03	
	; kx	11	05	02	-	18	

orueku & 9300&34800\$3600 xM is

'kfk.kd ; kx rk & fdl h eH; rk i hr fo'ofok|ky; l spkj o"KZ ch, Q, l-l h f}rh; Jskh eamRkZk A

1 h/h HkZ & l gk d xM de dE; Wj vkjVj & dy 13 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	01	-	06	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	-	-	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	-	-	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	01	-	-	01	
	; kx	08	04	01	-	13	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

'kfk.kd ; kx rk & अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, शासन द्वारा अधिकृत संस्था से सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड आवश्यक ।

, oa
Lukrd ijhkk mUk kZ

16. **l pkyuky;] uxjhr ç'kd u , oafodkd] Hki ky 1/2-ç-1/2**

l pkyuky;] uxjhr ç'kd u , oafodkd] Hki ky 1/2-ç-1/2से प्राप्त पत्र क्रमांक स्था./एक/08/2015 /8429 भोपाल, दिनांक 15/08/2015, 8533 दिनांक 18.06.2015 एवं 13269 भोपाल दिनांक 10.10.2016

l h/h HrkZ & LoPNrk fujhkd & dgy 91 in 1/2xj fuxekdsfy; s 1/2

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	42	17	—	—	59	निशक्तजनों की dgy 04 fjdR; ka eal s 04 in vflFck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	11	02	—	—	13	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	01	—	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	09	03	—	—	12	
	; ks	68	23	—	—	91	

orueku & 5200&20200S2800 xM is

'**ksk.kd ; ks; rk & ch, l-l h , oaeK; rk iHr l LFku ls LoPNrk fo"K; eafMylek A 1/2dk; Zkyd in 1/2**

l h/h HrkZ & LoPNrk fujhkd & dgy 60 in 1/2-iz jk; uxjhr LoPNrk lok 1/2

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	04	01	—	14	निशक्तजनों की dgy 04 fjdR; ka eal s 01 in nFVck/kr] 02 in Jo.kck/kr , oa01 in vflFck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	10	04	01	—	15	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	13	05	01	01	20	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	07	03	01	—	11	
	; ks	39	16	04	01	60	

orueku & 5200&20200S2800 xM is

'**ksk.kd ; ks; rk & fdl h eK; rk çHr l LFku ls ch, l-l h Lukrd , oal fuVsku eai=ki/k**

1/2dk; Zkyd in 1/2

l h/h HrkZ & jkt Lo fujhkd & dgy 33 in 1/2xj ikyd fuxe 1/2

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	21	03	—	—	24	निशक्तजनों की dgy 01 fjdR; ka eal s 01 in vflFck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	04	00	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	00	—	—	04	
	; ks	30	03	—	—	33	

orueku & 5200&20200S2800 xM is

'**ksk.kd ; ks; rk & fdl h eK; rk çHr fo'ofok; ls Lukrd] eK; rk iHr l LFku ls ,y, l-thMh ea**

fMylek rFk eK; rk iHr l LFk lsdE; Wj ipkyu eai=ki= A

1/2dk; Zkyd in 1/2

1 h/h HriZ & l gk d LopNrk vf/kdjh & dy 10 in %uxjikfyd fuxe½

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	01	—	—	08	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	—	—	00	
	; %x	09	01	—	—	10	

orueku & 9300&34800\$4200 xM is

'%k.k.kd ; %; rk & eM; rk i Hrk fo'ofok | ky; l s, e-chch, l- %dk Zkfyd in½

1 h/h HriZ & l gk d fof/k vf/kdjh & dy 12 in %uxjikfyd fuxe½

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	00	—	—	09	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	00	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	—	—	00	
	; %x	12	01	—	—	12	

orueku & 9300&34800\$4200 xM is

'%k.k.kd ; %; rk & eM; rk i Hrk fo'ofok | ky; l s, y-, y-ch %dk Zkfyd in½

1 h/h HriZ & l gk d vfrØe fujk/kd vf/kdjh & dy 52 in %uxjikfyd fuxe½

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	28	08	01	—	37	निशक्तजनों की dy 01 fjdR; %eals 01 in vLFfck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	00	—	—	06	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	00	—	—	06	
	; %x	42	09	01	—	52	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'%k.k.kd ; %; rk & eM; rk i Hrk fo'ofok | ky; l suxj fu; kt u eami k/k %Lukrd½ %dk Zkfyd in½

1 h/h HriZ & l gk d ifjogu , oa; krk kr izaku vf/kdjh & dy 20 in %uxjikfyd fuxe½

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	14	02	—	—	16	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	00	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	—	—	00	
	; %x	18	02	—	—	20	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'%k.k.kd ; %; rk & eM; rk i Hrk fo'ofok | ky; l s; krk kr izaku eami k/k; k; krk kr izaku eavU dkbZ fo'kV mi k/k %Lukrd½ %dk Zkfyd in½

l h/h HkZ & l gk d uxj fuoskd vf/kdjh & dy 12 in %uxjiky fuxe½

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	07	02	—	—	09	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	—	—	01	
	; %	10	02	—	—	12	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'%k.kd ; %rk & ek; rk i Hr fo'ofok; l suxj fu; kt u eamk/k %Lukrd½ %dk Zkyd in½

l h/h HkZ & l gk d vfxu'keu vf/kdjh & dy 17 in %uxjiky fuxe½

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	14	00	—	—	14	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	—	—	01	
	; %	17	00	—	—	17	

orueku & 9300&34800\$3600 xM is

'%k.kd ; %rk & ek; rk i Hr fo'ofok; l svfxu'keu esfMxh %Lukrd½ %dk Zkyd in½

17. e-iz osvjgkmlfl x , .M ykflVLDI dkWj\$ku 1/2-1/2

म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (म.प्र.) से प्राप्त पत्र क्रमांक मप्रवेल्का/स्था-07/3904 भोपाल, दिनांक 28/09/2016

l h/h hriz& dfu"B l gk d l g Mvk , .Vh vkWj\$ku; fer orueku1/2& dy 38 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	03	—	—	09	निशक्तजनों की dy 02 fjdR; kaeals 02-in nfvck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	11	05	01	01	18	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	03	01	—	11	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lxx	24	11	02	01	38	

orueku & 5200&20200\$1900 xM is

शैक्षणिक योग्यता — 1. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से बीकाम/बीएससी(एग्री)/बीबीए(मार्केटिंग एण्ड बिजनेस मेनेजमेंट/एग्रीकल्चर) 2. शासन से मान्यता प्राप्त निम्नांकित किसी एक संस्था से न्यूनतम एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है —

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र।
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का वैध प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड)।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-

बी.ई.(सीएसई./आईटी)/एमसीए/बीसीए/एमएससी (आईटी/सीएस) बी.एस.सी. (आईटी/सीएस) एम.टेक/एम.ई. इत्यादि

ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालॉजी इत्यादि

बी.एस.सी./बीकॉम डिग्रियाँ जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्ययन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।

18. e-ç- jkT; ou fodkl fuxe fyfeVM Hki ky ½e-ç-½

e-ç- jkT; ou fodkl fuxe fyfeVM Hki ky ½e-ç-½ d पत्र क्रमांक/ प्रशासन/2015/522 भोपाल दिनांक 28/04/2013 एवं पत्र क्रमांक/प्रशासन/2015/4208 भोपाल, दिनांक 21/09/2015 एवं पत्र क्रमांक /प्रशासन/2015/5387 भोपाल, दिनांक 06/11/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vjk{k k rkfydk

l h/h HkriZ & 'H?ky/kl & dy 08 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	—	—	—	04	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; lsk	08	&	&	&	08	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'lkl.kl ; lsk rk & मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं म.प्र. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित हिन्दी शीघ्रलेखक परीक्षा उत्तीर्ण तथा निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण -

1. Diploma from all Universities recognized by UGC
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC
3. Diploma level examination from DOEACC
4. Modern Office Management Course from Govt. Polytecnic College.
5. तथा CPCT अर्ह स्कोर कार्ड

l h/h HkriZ & Mvk, Uñ vWj/vj & dy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lsk	01	&	&	&	01	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is

1. 'lkl.kl ; lsk rk & स्नातक एवं डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा CPCT अर्ह स्कोर कार्ड

19. ek; fed f' kkk e. My] Hki ky ½-½

ek; fed f' kkk e. My] Hki ky ½-½ d पत्र क्रमांक प्रशा./स्था./ए-2/828-29/2016 भोपाल, दिनांक 09/06/2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj {k k rkydk

l h/h HkV & l gk d i s h e j & d y 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	02	

orueku & 9300&36800\$3600 xM is

'kk. kd ; k; rk & किसी मान्यता प्राप्त संस्थान एवं विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक/कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन से मास्टर डिग्री अथवा कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन डिग्री अथवा 'o'Laval course from DOEACC. Graduate in any discipline with diploma in computer application अथवा Minimum two years of data entry programming knowledge of Foxpro. Visual basic, MS Access and Oracle.

20. ifyl eq; ky; | Hki ky ½-½

ifyl eq; ky; | Hki ky ½-½ d पत्र क्रमांक पुसु/2/चयन/स-2/168/16 दिनांक 15/03/2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rkydk

l h/h HkiZ & l wnkj @ xFki ky & dgy 03 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lsk	02	&	&	&	03	

orueku & 9300&34800\$3600 xM is

'**lkl.kd ; lsk rk &** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रंथपाल विज्ञान में स्नातक उपाधि तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ।

l h/h HkiZ & l gk d mi fujhkd ¼ gk d xFki ky ½ & dgy 10 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	02	—	—	05	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; lsk	08	02	—	—	10	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'**lkl.kd ; lsk rk &** मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से ग्रंथपाल विज्ञान में डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ।

21. dk k; tcyiq fodkl ck/kdj.k tcyiq ½-½

dk k; tcyiq fodkl ck/kdj.k tcyiq ½-½ d पत्र क्रमांक जविप्रा/2016/स्थापना/398 जबलपुर, दिनांक 30/09/2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rkfydk

l h/h hr/z & l Ei fũk ççakd & dq 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lsk	01	—	—	—	01	

orueku & 9300&34800\$3600 xM is

'lkl.kd ; l; rk & कला/विज्ञान/वाणित्य में स्नातक

l h/h hr/z & l gk d çskzej & dq 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lsk	01	—	—	—	01	

orueku & 9300&34800\$3600 xM is

'lkl.kd ; l; rk & मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बी.सी.ए. (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) अथवा समकक्ष।

22. dk k; e/; in sk jkM-MgyieW dki l; sku fy-| Hki ky ½-½

dk k; e/; in sk jkM-MgyieW dki l; sku fy-| Hki ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 7502

/स्था/एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल दिनांक 19.09.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vj{k k rkfydk

l h/h hr/z & dfu"V l gk d xM&3 & dq 17 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	03	—	—	09	निःशक्तजनों की कुल 01 रिक्ति में से 01 पद अस्थिबाधित निःशक्तजन हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	—	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; lsk	13	04	&	&	17	

orueku & 4000&100&6000 ¼lpok orueku½

'lkl.kd ; l; rk & अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही शासन द्वारा अधिकृत संस्था से सी0पी0सी0टी0 स्कोर कार्ड अनिवार्य हिंदी में टायपिंग की दक्षता हो।

एवं

किसी विषय में स्नातक

23. dk kzy; e/; cnsk jkt; Nf'k foi .ku ckM/ Hki ky 1/2-1/2

dk kzy; e/; cnsk jkt; Nf'k foi .ku ckM/ Hki ky 1/2-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/बैकलॉग/सीधी भर्ती/2013/76/126, भोपाल, दिनांक 02.07.2013, पत्र क्रमांक 76/135 दिनांक 29.10.2014 एवं पत्र क्रमांक 33 दिनांक 16.03.2015 एवं संशोधन दिनांक 18.12.2015 एवं पत्र क्रमांक 351 दिनांक 20/09/2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -
vjk{k k rkydk

l h/h HrtZ & Mvk, Wh vWj/vj & dgy 09 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	01	01	01	09	निशक्तजनों की द्य 02 fjdR; ka eal s 01 in vLFkck/k , oa 01 Jo.ckk/k in निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; ks	06	01	01	01	09	

orueku & 5200&20200S2400 xM is
'k{k.kd ; k; rk & chl h, -@ch, l-l h@dE; Wj l kb @Lukrd&iht hMh h, - 50 cfr'kr val dsl kFA

l h/h HrtZ & l gk d mi fujhkd & dgy 618 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	375	176	47	20	618	निशक्तजनों की द्य 17 fjdR; ka eal s 11 in vLFkck/k , oa 06 Jo.ckk/k in निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; ks	375	176	47	20	618	

orueku & 5200&20200S2400 xM is
'k{k.kd ; k; rk & 'kd u }kj k eM; rk ckr l kFk l s 50 cfr'kr val dsl kFk Lukrd mi k/k

24. dk kzy; jkt; iky ds vij l fpoj e/; insk Hki ky

jkt; iky ds vij l fpoj e/; insk Hki ky से प्राप्त पत्र क्रमांक 2447/रास/स्था/2016, भोपाल, दिनांक 18.11.2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -
vjk{k k rkydk

l h/h HrtZ & Mvk, Wh vWj/vj & dgy 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; ks	02	-	-	-	02	

orueku & 5200&20200S2400 xM is
'k{k.kd ; k; rk & 1- 'kd u }kj k eM; rk ikr l kFk l sigluh izkyh l sgk j l d. Mjh ; k gk j l d. Mjh
1/2 OS 2 1/2 ijh{k mRch kZ- 'kd u ; k eM; rk ikr l kFk l s Lukrd dh ijh{k mRch kZ- 'kd u
; k eM; rk ikr l kFk l s dE; Wj foKku eami k/ki = 1/2 Mj k k/2

l h/h Hk hZcSlyk ds i n k d k oxZkj fooj .k

25. dk k; l pkyuky; uxj rFlk xte fuošk i; kZj.k Hki ky ½-¼-½

dk k; l pkyuky; uxj rFlk xte fuošk i; kZj.k Hki ky ½-¼-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक-क्र./4868/स्था./नग्रानि/2014, भोपाल, दिनांक 27.10.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

v{k k rfydk

l h/h Hk hZcSlyk ½ ušk d ½ & d y 02 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	01	-	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	01	-	-	01	
	; k	&	01	01	&	02	

orueku & 5200&20200 xM is 2800

'k k .k d ; k ; rk & ok .k'; @dyk@Hki @foKku ds l Hk xf .k @l k [; dh , d fo" k jgk gk Lukr d mi k/k

26. dk k; Jek Dr l xBu e/; cnsk bnf 1e-c-1/2

dk k; Jek Dr l xBu e/; cnsk bnf 1e-c-1/2से प्राप्त पत्र क्रमांक 3/2/प्रथम/भाग-2
लिपिक/2011/29263, इंदौर दिनांक 17/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -
vj{k k rkfydk

l h/h HriZcSlyk & Je mi fujhkd & dy 04 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	
	; lsk	03	01	-	-	04	

orueku & 5200&20200 \$ xM oru 2400@&
'kfk.kd ; k; rk & स्नातक उपाधि

27. dk k; e/; cnsk [knh rFk xels] lsk chM74 vjrk fgYl | Hsk ky 1e-c-1/2

dk k; e/; cnsk [knh rFk xels] lsk chM 74 vjrk fgYl | Hsk ky 1e-c-1/2 से प्राप्त पत्र
क्रमांक/स्था./4/28-3/2012-13/447 भोपाल दिनांक 10/10/2014 एवं पत्र क्रमांक/स्था.
/4/28-3/2014-15/115 भोपाल दिनांक 06/01/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-
vj{k k rkfydk

l h/h HriZcSlyk & l gk d cçakd & dy 06 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	-	-	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	01	-	03	
	; lsk	03	02	01	-	06	

orueku & 5200&20200\$2800 xM is
'kfk.kd ; k; rk & 1- de l sde Lukrd mi k/k

l h/h HriZcSlyk & i; Zskd & dy 09 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	01	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	01	-	04	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	01	-	03	
	; lsk	04	02	02	01	09	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is
'kfk.kd ; k; rk & 1- de l sde Lukrd mi k/k

28. dk k; e/; çnsk LVW fl foy l IykbZ dkj i kjsku fyfeVM Hki ky 1/2-1/2

dk k; e/; çnsk LVW fl foy l IykbZ dkj i kjsku fyfeVM Hki ky 1/2-1/2 से प्राप्त

पत्र क्रमांक स्था./2014/3166, भोपाल, दिनांक 09/09/2014 एवं 3615, भोपाल, दिनांक 22.11.14, पत्र क्रमांक/स्था./2014/3722 भोपाल दिनांक 15.12.2014 तथा पत्र क्रमांक स्था./2015/1284, भोपाल, दिनांक 26/09/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vj {k k rkfydk

l h/h HriZcSlyk & l gk d & dgy 19 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निशक्तजनों की dy 01 fDr nfVck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	03	01	—	11	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	02	01	—	08	
	; k	12	05	02	&	19	

orueku & 5200&20200\$2400 xM&is

'k.k.kd ; k; rk & fdl h Hh l ak, es i Ee Jsh ea Lukrd , oa dE; Wj ea , d o"KZ fMyek iek k i= 1/2E; Wj , Iyhdsku ea Lukrd chl h @, el h ds vH fHk la dks dE; Wj fMyek dh vto'; drk ughagksh

l h/h HriZcSlyk & dfu"B l gk d & dgy 24 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निशक्तजनों की dy 02 fDr; k ea ls 02 in nfVck/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	04	01	—	14	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	01	—	10	
	; k	15	07	02	—	24	

orueku & 5200&20200\$1900 xM&is

शैक्षणिक योग्यता – किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी से स्नातक एवं कम्प्यूटर में एकवर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बीसीए/एमसीए के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी।

29. dk k; m | l pkyuky; | Hki ky ½-½

dk k; m | l pkyuky; | Hki ky ½-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक 02/स्थापना (1-ब)/2014/10023, भोपाल, दिनांक 18/09/2014 एवं पत्र क्रमांक 02/स्थापना (1-ब)/2014/13351 भोपाल, दिनांक 05.12.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vj{k k rkydk

I h/h HriZcSlyk & I gk d çakd & d; 07 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	–	–	–	–	–	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	–	–	–	05	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	–	–	–	02	
	; l	07	–	–	–	07	

वेतनमान – 5200-20200+2800 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान)½ dk k; rkydk in½

30. e-ç- jk; ou fodkl fuxe fyfeVM Hki ky ½-½

e-ç- jk; ou fodkl fuxe fyfeVM Hki ky ½-½ d पत्र क्रमांक/ प्रशासन/2015/522 भोपाल दिनांक 28/04/2013 एवं पत्र क्रमांक/प्रशासन/2015/4208 भोपाल, दिनांक 21/09/2015 एवं पत्र क्रमांक/प्रशासन/2015/5387 भोपाल, दिनांक 06/11/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vj{k k rkydk

I h/h HriZcSlyk & 'k; rkydk & d; 02 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	–	–	–	–	–	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	–	–	–	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	–	–	–	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–	–	–	–	–	
	; l	02	–	–	–	02	

orueku & 9300&34800\$3200 xM is

'k; rkydk ; l; rk & मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं म.प्र. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित हिन्दी शीघ्रलेखक परीक्षा उत्तीर्ण तथा निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण –

1. Diploma from all Universities recognized by UGC
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC
3. Diploma level examination from DOEACC
4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.
5. तथा CPCT अर्ह स्कोर कार्ड ।

31. **dk k; e/; çnsk jkt; Ñf'k foi.ku ckM Hki ky ½-½**

dk k; e/; çnsk jkt; Ñf'k foi.ku ckM Hki ky ½-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/बैकलॉग/सीधी भर्ती/2013/76/126, भोपाल, दिनांक 02.07.2013, पत्र क्रमांक 76/135 दिनांक 29.10.2014, पत्र क्रमांक 33 दिनांक 16.03.2015, संशोधन दिनांक 18.12.2015 तथा पत्र क्रमांक /बोर्ड कार्मिक/सीधी भर्ती/76/229 दिनांक 08/02/16 तथा पत्र क्रमांक /बोर्ड कार्मिक/सीधी भर्ती/2016/76/271 दिनांक 03/05/16 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vjk k rkydk

l h/h HkZcSlyk & l gk d mi fujhkd & dy 423 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निशक्तजनों की dy 14 fjdR; kae ls 06 in Jo.kk/k] 08 in vlfk/k/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	111	45	12	05	173	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	160	63	17	07	247	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	-	-	003	
	; kx	265	108	29	12	423	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k k. kd ; k; rk & 'kd u }jk ek; rk çhr l f k l s 50 çfr'kr val dsl kfk Lukrd mi k/k

l h/h HkZcSlyk & Mvk, Uv vkjvj & dy 06 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निशक्तजनों की dy 02 fjdR; kae ls 01 in Jo.kk/k] 01 in vlfk/k/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	-	-	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	-	-	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	
	; kx	04	02	-	-	06	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'k k. kd ; k; rk & chl h, -@ch, l-l h@dE; Wj l kb @Lukrd&iht hMh h, - 50 i fr'kr val dsl kfk

1 fank HrkZds i nkd k oxZkj foj.k

32. dk k; ; tu vfhk ku ifj"knH Hki ky ¼-½

dk k; ; tu vfhk ku ifj"knH Hki ky ¼-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक-1297/ज.अ.प./स्था./14, भोपाल दिनांक 11.09.2014 एवं पत्र क्रमांक 1707 दिनांक 08/12/2014 एवं पत्र क्रमांक 272 दिनांक 25/02/2015 एवं क्र. 1138/ज.अ.प./प्रशा./15 भोपाल दिनांक 26/06/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vjk{k k rkfydk

1 fank HrkZ & l Hkx l eLb; d & dgy 05 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; kx	04	01	&	&	05	

oru & 41003@&

'k{k.kd ; k; rk & eL; rk çHr fo' ofo | ky; l sLukrd

1 fank HrkZ & ft yk l eLb; d & dgy 20 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	—	—	06	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	02	—	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	—	—	—	03	
	; kx	15	05	—	—	20	

oru & 26348@&

'k{k.kd ; k; rk & eL; rk çHr fo' ofo | ky; l sLukrd

1 fank HrkZ & CykH l eLb; d & dgy 22 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	04	—	—	08	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	04	—	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	04	—	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	—	—	03	
	; kx	09	13	—	—	22	

oru & 18480@&

'k{k.kd ; k; rk & eL; rk çHr fo' ofo | ky; l sLukrd A

33. dk lky; l pkyuky; fpfdRI k f' kll Hki ky 1e-c-1/2

dk lky; l pkyuky; fpfdRI k f' kll Hki ky 1e-c-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक 536/स्था./अराज/2014 भोपाल, दिनांक 27/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

xlkh fpfdRI k egkfo | ky; | Hki ky

vlg{k k rkydk

l fonk HriZ & vHkVlV , oaçkHkVlV 1/4 h, e-vlj-1/2 & dy 01 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	—	—	—	01	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lsk	01	—	—	—	01	

orueku & 15730@& fQDI is

'lkl.kd ; lsk rk & chihvk lskpyj bu vHkVlV , oaçkHkVlV@ch, l-l h , .M çkHkVlV , oaçkHkVlV

34. t ul á dZl pkyuky; | e/; çns'k 'kl ul Hki ky 1e-c-1/2

t ul á dZ l pkyuky; | e/; çns'k 'kl ul Hki ky 1e-c-1/2 से प्राप्त पत्र क्रमांक ए-1-16/2014/जसंसं/स्था/7789 दिनांक 21/11/2014 एवं ए-1-16/2014/जसंसं/स्था/7881 दिनांक 27/11/2014 एवं पत्र क्रमांक 881 दिनांक 05/02/2015 एवं क्रमांक ए-1-16/2014-15/जसंसं/स्था./4616 भोपाल, दिनांक 27/06/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

vlg{k k rkydk

l fonk HriZ & vuolnd & dy 05 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	—	—	03	fujal
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; lsk	04	01	—	—	05	

orueku & 8000/-

'lkl.kd ; lsk rk & किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ एक विषय में अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य है।

35. e-iz os/jgkmfl x , .M ykV fLVDI dkWj'sku 1/2-1/2

म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (म.प्र.) से प्राप्त पत्र क्रमांक मप्रवेलोका/स्था-07/3904 भोपाल, दिनांक 28/09/2016

l fonk HkrlZ& dfu"B l gk d l g Mvk , .Vh vWjVj 1/2 fonk1/2& dy 42 in

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	15	06	—	—	21	निशक्तजनों की dy 02 fjdR; kaals 01 in vLFck/k, oa01 in Jo.k ck/k निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	02	—	—	07	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	02	—	—	08	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	04	02	—	—	06	
	; lx	30	12	—	—	42	

orueku & 5200&20200S1900 eafuf'pr oru : i;s17055@& ifrelg

शैक्षणिक योग्यता — 1. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से बीकाम/बीएससी(एग्री)/बीबीए(मार्केटिंग एण्ड बिजनेस मेनेजमेंट/एग्रीकल्चर) 2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नांकित किसी एक संस्था से न्यूनतम एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है —

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र. शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का वैध प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड)।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-

- बी.ई.(सीएसई./आईटी)/एमसीए/बीसीए/एमएससी (आईटी/सीएस) बी.एस.सी. (आईटी/सीएस) एम.टेक/एम.ई. इत्यादि
 ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लोकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालॉजी इत्यादि
 बी.एस.सी./बीकॉम डिग्रियों जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्ययन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।

36. dk k; e/; çñsk jkT; fuokpu vk kx fuokpu Hou] 58] vjšk fgYl |
Hki ky ½e-ç-½&462011

dk k; e/; çñsk jkT; fuokpu vk kx fuokpu Hou] 58] vjšk fgYl | Hki ky ½e-ç-½
&462011 के पत्र क्रमांक एफ 01-15/2006/एफ/1786 भोपाल, दिनांक 04.09.2015 एवं एफ
 01-15/2006/एफ/1596 भोपाल, दिनांक 03.08.2016 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -
vj{k k rkydk

l fonk HrkZ½Mvk , Uñ vki j½j½& dy 04 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	—	—	—	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	04	—	—	—	04	

l fonk i kfj Fed &10260@&

'kfk.kd ; kx rk & बी.सी.ए./कम्प्यूटर स्नातक/पी.जी.डी.सी.ए. परीक्षा के साथ अंग्रेजी एवं हिन्दी का ज्ञान तथा
 दोनो भाषाओं में अनुभव होना चाहिये डाटाबेस से एस.क्यू.एल.में रिपोर्ट जनरेट करने का ज्ञान अनिवार्य है विज्ञान
 एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणिकरण सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।

37. l pkyuky; , dhÑr cky fodkl l sk fot ; k jkt sokR Y; Hou IyKV ua
28| vj jk fgYl | Hsk ky %e-c-½& 462011

कार्यालय l pkyuky; , dhÑr cky fodkl l sk Hsk ky (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 5342, भोपाल दिनांक 11/09/2014 एवं पत्र क्रमांक स्था./ए.बा.वि.से./ई-7/2014 /5913 भोपाल दिनांक 30/10/2014 एवं पत्र क्रमांक/स्था.ई.7/2015/2274 भोपाल, दिनांक 16/06/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -
vj {k k rkfydk

l fonk HriZ & dE; Wj vkijVj & dgy 10 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	01	—	—	05	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	—	—	—	01	
	; sk	09	01	—	—	10	

orueku & 10000@&

'sk.kd ; sk rk & अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड हो ।

, oa
Lukrd

l fonk HriZ & Mvk Wñ vkijVj & dgy 13 in

सक्र	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	—	—	07	fujad
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	—	—	—	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	—	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; sk	11	02	—	—	13	

orueku & 10000@&

'sk.kd ; sk rk & अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड हो ।

, oa
Lukrd

v/; k & 3
i k s kuy , Xt kfeusk ckM Hk ky ijhkk l pkyu dsfu; e , oafunzk

[k M&v

- 3-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH FkZ' ksk. kd vgzkvk dk HyHwv v/; ; u mijkr gh vksu i= Hja
- (ii) vksnd dks fofHku inkgrq, d gh vksu i= iZrq djuk vfuok ZgA inkdh l d; k eavko'; drkuq kj deh; k of) dh t k l drh gA
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा ।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3-3 ijhkk gky ea yst kusgrqvko'; d l lexh %&

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)
- (ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bZvkHj eH; ughagA

3-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3-5 **ukxfj drk , oaLFkbZfuokl h ds l aak ea%**

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को
(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये ।
(ख) नेपाल की प्रजा होना चाहिये ।
2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।
- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

3-6 **e/; i nsk ds LFkbZfuokl h vlonk ds fy, vk ql hek %**

- (i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 तूोज 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

सक्र०	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	म.प्र. के बाहर के आवेदकों के लिये आयु सीमा (वर्ष में)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष	35 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष	35 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता /तलाकशुदा)	45 वर्ष	35 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	45 वर्ष	35 वर्ष

3-7 **e/; i nsk ds LFkbZfuokl h vlonk ds i h l lgu Lo: i nh t kus okyh Nw%**

- (i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी-3-40-आ-84-(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

- (ii) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iv) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3-8 e/; i n s k ds LFkbZfuokl h vloncladh vk; q l lek ds l ak ea vU; foofj.k %

- (i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k % शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k % शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक क्रेडिट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Vii % (1)

उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

1/2 1/2

यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.8 (ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“ आयु-सीमा के संबंध में विशेष उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक

न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है ।

3-9 **fyf[kr ijh[kk eafu%kDr t u vH fflZ k ds fy, mi yC/k l fpo/kk ; %**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) **; g l fpo/kk fuFufyf[kr vH fflZ k ds i nku dh t losxh %**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी ।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी ।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो ।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो ।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी । इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा ।

(ii) **y[ku fyfi d dh l fpo/kk %**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी । यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) **y[ku fyfi d dh fu; fDr grq' kr %**

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता से एक स्तर नीचे का होना चाहिए ।
2. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 01 दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन सप्ताह पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

(iv) **bl ds vfrfjDr iznk dh t kus okyh l fo/kk, W%&**

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए पी.ई.बी. द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3-10 iznk&i = iMr djus dh i f0; k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukW& iznk i = t kjh gkus ds mijkr fdl h rjg dk =fV l qkkj ugha fd; k t k sk , oafdl h Hh izlkj dh =fV nf"Vxkqj gkus ij ihbZch vWkykZz vlonu&i = dks jna@fujLr@ ifjofrZ djus dk vf/kdkj l qf{kr j [krk gA

3-11 ijh{k iznk&i = (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **ck s gkfk ds vaBs dk fu'ku** तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.12 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3-13 v- =fV i wZi zu] ml dk fujLrhdj . k , oacnys eafn; k x; k vad %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियों आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

mnkgj.k 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

mnkgj.k 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

उत्तर 1.13 के अंकों के लिए दसवें अंक तक सही

(आदेश क्र. पी.ई.बी./5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_{ii} - M_{iq}^g} (M_{ij} - M_{iq}^g) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_{ii} is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq}^g is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

3.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

3.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यू.एफ.एम प्रकरण दर्ज होगा ।

4. नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यू.एफ.एम. प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/ परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3-16 ijhkk ifj. ke dk izk ku %

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी ।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी ।

3-17 **ijhkk ifj. ke %**

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा ।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा ।

3-18 **ikQskuy , Xt kfeusku ckM/ Hsk ky dk dk Z fyf[kr ijhkkvls dk l pkyu , oa ml dk ifj. ke ?kk"kr djuk ek= glxk %**

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा ।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा ।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे ।

3-19 **U; kf; d {s-k/kdkj %** परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

3-20 ~~vWYkbZi vlonu&i = dsl kfk l yXu fd; st kus okys nLrkt l d k foog . k %~~

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **ik i&03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3-21 ~~vWYkbZi vlonu i = dsl kfk Qk/s , oagLrk kj l yXu djus l aak funZk%~~

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **ik i&03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ ~~vlonu Hjus dh frffk~~ से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा ~~Qk/skQ ij f[kpokus dh fnukd o vlonu ds uk dk Li"V mYysk gkuk pfg; A~~ यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3-22 , e-ih vWylbZ fd; Kd dsek; e lsvlonu QleZHjus dh fof/k %

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3-23 vWylbZ vlonu Hjus dsl rak eafunZk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) vlon dks vlonu i= ea 'kjij ds LFk; h fpUg rFk ijhkk ds le; iZrq fd; s t kus okys Qk/s igpku i= dk foj.k rFk Øekd vfuok; Z : i lsvfdr fd; k t luk gskA buds vHko ea vlonu i= Lohdkj ugh gskA
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) vkuybZ vlonu i= ea vlon dks viuk vk/kj dMØekd vfuok; Z% v fdr fd; s t kus dk i to/ku j [kk gSA bl ds mi ; sk l s

1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना।

2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पर्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी ।
4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिलिड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिलिड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा ।
5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरक्षित रखा जायेगा ।
6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।
7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू में पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

3-24 **www.mponline.gov.in** = **Hjus dh Q oLFk %**

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की **www.mponline.gov.in** के माध्यम से भरा जा सकता है ।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है ।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा ।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके ।

3-25 vWYkZi vlonu&i = Hj us grqns fodYi gS%

¼½bWjuV dQs }kjk D; Kd½

¼½Lo; ads dE; Wj }kjk

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funZk@Instructions** तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

¼½ØfMV@MfcV dKZ

¼½bWjuV cSdx

3-26 ØfMV@MfcV dKZdsek; e lsiyhkk 'kyd dk Hqrku%

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-27 **bā/juā cādx dsek; e l s i j h k k ' h y d d k H x r k u %**

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-28

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3-29 **fu/wj r fr f k e a t e k f d , x , v w y l b z v l o n u i = e a l a k k u d h Q o l f k**

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3-30 , d l s v f / k d v W y l b z v k o n u & i = H j u s l a l h f u n z k %

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3-31 v W y l b z v k o n u & i = d k f u j l r h d j . k %

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3-36 iq%.kuk@iqe%; kdu

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **iq%.kuk@iqe%; kdu** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतियुत्तर नहीं दिया जायेगा ।

- 3-37** अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

3-38 vkosnu i = Hjus dh l e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
28.11.2016	12.12.2016	15	28.11.2016	17.12.2016	20

3-39 vkuykbz i jhkk dk foj. k

स.क्रं.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	07-08.01.2017	शनिवार	03 घंटे	प्रातः 09:00 से 12:00 तक	200
2	द्वितीय		एवं रविवार		प्रातः 02:00 से 05:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

3-40 (i) ijhkk 'kyd %

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01-	, d	500/-	250/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-	fujad

(ii) l akku fd; st kusij ns 'kyd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	, d	100/-	50/-

3-41 ijhkk 'lgj %

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

<u>vkuykbz i jhkk dthz</u>		
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर
4. ग्वालियर	5. सागर	6. उज्जैन
7. सीधी	8. सतना	

3-42

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का **Normalisation** करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

v/; k & 04

iB; Øe

dy val 200

प्रश्न पत्र की संख्या	प्रश्न पत्र के खण्ड	प्रश्न पत्र का स्तर	प्रश्नपत्र का विवरण	अंक
01	खण्ड—अ	स्नातक	1/1 सामान्य विज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित	100
	खण्ड—ब	हायर सेकेण्डरी (10+2)	1/1/2 सामान्य ज्ञान एवं अभिरूचि, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन	100

ik i&l

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

izu&i qLrck ds izuk ds l rak eavH kosu

1/2 ; g ia = doy ijh{KFKZ} jk gh Hj dj fu/KZj r l e; kof/k rd
e. My dk k; eami yC/k dj kus ij fopkj {k= eafy; k t k xk 1/2

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

1000	izu Øekd	=qV dk foofj.k	lk; ds: i eaiLrq nLrkot dk foofj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

ik i&2

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

vk'kZmRrjka ij vki fRr grqvH kosu

%k& ; g iz = doy ijh{kFkZ}kj gh Hjdj fu/kZr l e; kof/k rd e. My
dk kZ; eamiyCk djkusij fopkj {k= eafy; k t k xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

I-Ø-	mRrj Øekd	vk'kZdq h ea izf'kZ mRrj	vH FkZds vuq kj mRrj	mRrj dsl eFkZ ea iZrq nLrkot dk foj.k	l gXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

ik i&4
ik i&4

ik i&4

समूह-2 उपसमूह-4 के अंतर्गत श्रम-निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक प्रबंधक, सहायक संपरीक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2017

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग(पुरुष/महिला) :-
5. जन्मतिथि :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-

दिनांक :-

निवास का पता :-

मोबाईल/दूरभाष नं. :-

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र:-

1. कक्षा आठवीं की अंकसूची
2. म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र:-

ik i&4 - जिला-शयोपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

ik i&4 & जिला-मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

ik i&4 - जिला- छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

4. होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र ।

परिष्कारित दस्तावेज़; स. लो; अ. स. स. [क. र. स. द. क. फ. ओ. ज. क.]

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी का गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी:
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता.....

.....
.....

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना

- पी.ई.बी. द्वारा समस्त प्रवेश, पात्रता एवं भर्ती परीक्षाएँ ऑनलाईन प्रणाली से आयोजित की जाती हैं ।
- किसी भी परीक्षा के संबंध में विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही पी.ई.बी. परीक्षा आयोजित करता है ।
- आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी भली-भांति पी.ई.बी. की वेबसाईट पर उपलब्ध संबंधित परीक्षा की नियम पुस्तिका का अवलोकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आप संबंधित परीक्षा की सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, तत्पश्चात् ही आवेदन पत्र भरे ।
- आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं।
- क्योस्क के माध्यम से आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त रु. 70/- पोर्टल चार्ज देय होता है । अभ्यर्थी स्वयं भी एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके, प्राप्त लॉगईन आई.डी. से आवेदन कर सकता है, इस हेतु उसे रु. 40/- पोर्टल चार्ज देय होगा ।
- आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, उपनाम, जन्मतिथि एवं माता-पिता/पति का नाम अपरिवर्तनीय प्रविष्टि (V ita l fie Id) है। आवेदन पत्र भरने पर क्योस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रिंट में उपरोक्त प्रविष्टियों में त्रुटि परिलक्षित होने पर सुधार हेतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त करते हुए नया आवेदन पत्र भरना होगा ।
- यह आवेदक की स्वयं की जिम्मेवारी है कि वह अपना आवेदन पूरी तरह सावधानी के साथ भरे ।
- आवेदन पत्र में अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि होने पर नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार निर्धारित समय-सीमा में सम्भव होगा अर्थात् आवेदन भरने के 5 दिन के भीतर ।
- प्रविष्टि में परिवर्तन पी.ई.बी. स्तर पर सम्भव नहीं है, ऐसे आवेदन पत्र पी.ई.बी. द्वारा अमान्य किये जाते हैं ।
- कतिपय अभ्यर्थी टी.ए.सी. में त्रुटि परिलक्षित होने पर परिवर्तन हेतु आवेदन करते हैं, जबकि यह त्रुटि उनके द्वारा आवेदन पत्र भरने में की गई त्रुटि एवं समय-सीमा में सुधार न करने का परिणाम होती है, अतः इस संबंध में कोई भी आवेदन/पत्राचार तत्समय पी.ई.बी. द्वारा मान्य किया जाना सम्भव नहीं होता है ।
- समूह परीक्षाओं में कतिपय स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं जिसमें अलग-अलग पदों/प्रश्न-पत्र होने पर पृथक-पृथक प्रवेश-पत्र (TAC) जारी किए जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रवेश-पत्र (TAC) लेकर जाना आवश्यक होगा ।
- निःशक्तजन को नियमानुसार सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन समस्त निर्धारित दस्तावेजों के साथ परीक्षा की प्रारंभ तिथि से 10 कार्य दिवस पूर्व पी.ई.बी. में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी इस तरह के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।
- अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर नियम पुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर पहुंचना अनिवार्य है ।
- परीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर पी.ई.बी. की अधिकृत वेबसाईट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र (TAC), मूल पहचान पत्र, काला बाल पाईट पेन ले जाना

अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/मोबाइल ना ले जावे ।

- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में प्रथम लॉगिन पश्चात् कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित परीक्षा निर्देशों को भली-भांति पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसे परीक्षा देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो ।
- किसी भी तकनीकी त्रुटि होने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने में विलंब होने की स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र हल करने हेतु निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराई जाती है, अतः ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को बिना किसी चिंता के परीक्षा संचालन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए ।
- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा देने की समयावधि के समस्त क्रियाकलाप का लॉग के रूप में डेटा सुरक्षित किया जाता है, अतः अभ्यर्थी द्वारा दी गई परीक्षा का सम्पूर्ण विवरण पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहता है।
- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में कम्प्यूटर पर अंकित किये गये उत्तरों को सबमिट किये जाने के पश्चात् प्रदर्शित स्कोर एवं उसको प्राप्त अंतिम स्कोर में अन्तर सम्भावित है, इसका कारण मॉडल कुंजी एवं अंतिम कुंजी में अन्तर और एक से अधिक पाली (मल्टीशिफ्ट) में परीक्षा होने के कारण किया गया नार्मलाइजेशन हो सकता है। उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं का विवरण पी.ई.बी. की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।
- पी.ई.बी. द्वारा एक से अधिक पाली में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का स्तर एक समान रखने का यथा सम्भव प्रयास किया जाता है तथापि विभिन्न पाली के प्रश्न-पत्रों के कठिनाई स्तर की भिन्नता के प्रभाव को निष्क्रिय करने हेतु नार्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके ।
- पात्र अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है, अतः इस संबंध में किसी भी शिकायत का निवारण संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाना सम्भव होगा न कि पी.ई.बी. द्वारा ।
- पी.ई.बी. का कार्य क्षेत्र केवल विभाग की मांग पर परीक्षा का आयोजन कर परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने तक सीमित है। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का है ।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि पी.ई.बी. द्वारा विभागों के मांग पत्रों के आधार पर प्रवेश, पात्रता, चयन एवं भर्ती परीक्षाएँ पूर्ण पारदर्शी एवं उत्कृष्ट तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप आयोजित की जाती है।

जिनकी सुरक्षा एवं शुचिता का यथासंभव प्रयास किया जाता है, अतः इस संबंध में अगर किसी के द्वारा अवांछित लाभ उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है तो अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इसकी सूचना समस्त जानकारियों सहित तत्काल पी.ई.बी. कार्यालय को प्रदान करें। परीक्षा से संबंधित अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होने / सहयोग प्रदान करने / तथ्य छुपाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।

नियंत्रक

